

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
SEEPZ Special Economic Zone Authority
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

NO.: E-OPT-12/125/2022-EO: 110842

21 August, 2025

कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 21.08.2025

Sub: Constitution of a Committee to Assess Optimum Area Requirement and Allotment Options for Food Stalls for Indian Coffee House (ICH) Workers.

भारतीय कॉफी हाउस (आईसीएच) के श्रमिकों के लिए खाद्य सेवा आवश्यकताओं से संबंधित फुटफॉल और स्थान उपयोग के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसरण में, कर्मचारियों/श्रमिकों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक इष्टतम क्षेत्र के आगे के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

In pursuance of the report submitted regarding footfall and space utilisation pertaining to food service requirements for Indian Coffee House (ICH) workers, it has been decided to constitute a committee for further assessment of the optimum area required to effectively serve the employees/workers.

रिपोर्ट किए गए आगंतुकों की संख्या के आधार पर आवश्यक इष्टतम क्षेत्र का मूल्यांकन और गणना करने के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है:

1. संयुक्त विकास आयुक्त (जेडीसी), पुणे
2. उप विकास आयुक्त (डीडीसी)
3. सहायक विकास आयुक्त (संपदा)

समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

The following committee is hereby constituted to evaluate and calculate the optimum area required based on the reported footfall:

1. Joint Development
Commissioner (JDC), Pune
2. Deputy Development
Commissioner (DDC)
3. Assistant Development
Commissioner (Estate)

The Committee shall:

क) प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और दशाए गए आंगंतुकों के आधार पर भारतीय कॉफी हाउस (आईसीएच) के कर्मचारियों की खाद्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक इष्टतम क्षेत्र की गणना करेगी;
ख) ऐसे खाद्य सेवा प्रावधानों के लिए आवश्यक इष्टतम निर्मित क्षेत्र का निर्धारण करेगी;
ग) शेष निर्मित क्षेत्र का आकलन करेगी और अन्य खाद्य स्टालों/मॉल को आवंटित करने के लिए इसकी उपयुक्तता का पता लगाएगी;
घ) खाद्य स्टालों के आवंटन के संबंध में अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपनाई गई उपयुक्त सर्वोत्तम प्रथाओं की सिफारिश करेगी, जिससे श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए उचित मूल्य पर विभिन्न प्रकार के गुणवत्तापूर्ण खाद्य विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए विशिष्ट सिफारिशों के साथ अपनी अंतिम रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे।

इसे विकास आयुक्त, सीपज़ सेज़ के अनुमोदन से जारी किया गया है।

- a. Review the submitted report and calculate the optimum area required to cater to the food service needs of Indian Coffee House (ICH) workers based on the indicated footfall;
- b. Determine the optimal built-up area necessary for such food service provisions;
- c. Assess the remaining built-up area and explore its suitability for allotment to other food stalls/malls;
- d. Recommend suitable best practices adopted in other SEZs with respect to allotment of food stalls, ensuring availability of a variety of quality food options at reasonable prices for workers and employees.

The Committee is instructed to submit its final report within 15 days, along with specific recommendations, at the earliest for further necessary action.

This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ SEZ.

Digitally signed by
Mayur Ramesh Mankar
Date: 21-08-2025
18:10:52

(मयूर मानकर)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीपज़-सेज़ प्राधिकरण

To:

1. समिति के सभी सदस्य
2. कार्यालय आदेश फ़ाइल
3. कार्यालय आदेश रजिस्टर
4. डीसीओ और जेडीसीओ, डीडीसीओ, सीप्प-एसईजेड